संख्या-12/2022/78-02004(004)/12/2019-00 0-2-00

प्रेषक,

कुमार विनीत
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च ,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु तथा स्टेट डाटा सेन्टर में स्थापित सर्वर एवं अन्य उपकरणों की ए0एम0सी0 साफ्टवेयर सपोर्ट पैक (ओईएम) के कार्य हेतु धनराशि रू0 1013.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-UPSDC/Budget/D/21-22/4000, दिनांक 11-2-2022 एवं -UPSDC/Budget/D/21-22/4253, दिनांक 04-03-2022 एवं प्रबन्धक ,सीईजी के पत्र संख्या–सीईजी/ पी/09/XII/476/2022 दिनांक 03-03-2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रमश: विभिन्न आईटी कम्पोनेन्टस के क्रय किये जाने एवं स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रु. 8,98,91,520 /- एवं ई- डिस्ट्रिक्ट परियोजनान्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर में स्थापित 46 सर्वर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों की एएमसी साफ्टवेयर सपोर्ट पैक (ओ0ई0एम0) के कार्य हेतु (दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक के लिए) धनराशि रू0-1,14,88,100/- इस प्रकार कुल धनराशि रू0-10,13,80,000/- (रुपये दस करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृत इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. उक्त कुल स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रू0- 1,14,88,100/- की स्वीकृति प्रबन्धक, सीईजी के अनुरोध पर की जा रही है। अत: प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि रू0-1,14,88,100/- आहरित कर सीईजी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृति धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।
9. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक, सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलो को सत्यापित करा लेंगे।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
12. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।
13. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेंटर-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश दिनांक 15-03-2022 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. राज्य समन्वय, सीईजी गोमतीनगर, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in